संख्या– 1357/पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ दिनॉक 28 जून 2020

विषय–कोविड–19 से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 25.06.2020 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि प्रदेश में कोविड–19 से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु संचालित गतिविधियों की समीक्षा मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा दिनॉक 25.06.2020 को की गयी थी। उक्त समीक्षा बैठक में निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिए गए हैं:–

1. प्रदेश में जनपदवार कोरोना वायरस की जॉच हेतु एकत्रित सैम्पलों की दैनिक समीक्षा की जाए। जिन जनपदों में कम सैम्पल एकत्रित हो रहे हैं उन जनपदों में इसके कारणों का गहन विश्लेषण किया जाए तथा चिन्हित कारणों का निवारण करते हुए इन जनपदों में सैम्पल की संख्या को बढ़ाया जाए।
2. प्रदेश में कोविड–19 संक्रमण की वृद्धि–दर को ध्यान में रखते हुए जनपदवार/ ईकाईवार, मानव–संसाधन की आवश्यकताओं का आंकलन किया जाए तथा आंकलन के आधार पर भविष्य में अनुमानित मानव–संसाधन की आवश्यकताओं का जनपदवार/ ईकाईवार प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाए।
3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तैनात सर्विलान्स टीमों द्वारा प्रतिदिन सर्विलान्स का कार्य किया जा रहा है। सर्विलान्स टीमों द्वारा एकत्रित डाटा के आधार पर जनपदवार संकलित रिपोर्ट प्रतिदिन शासन को उपलब्ध कराया जाए।
4. आरोग्य सेतु के प्रयोगकर्ताओं द्वारा इस एप में अपने स्वास्थ्य की स्थिति को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। अतः आरोग्य सेतु में उपलब्ध डाटा का नियमित अनुश्रवण किया जाए तथा जिन प्रयोगकर्ताओं के द्वारा कोविड–19 के लक्षण से ग्रस्त होने की सूचना अंकित की गई है उन तक सर्विलान्स टीम का पहुँचना सुनिश्चित किया जाए।
5. प्रदेश में कोविड–19 से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन द्वारा नियमित रूप से दिशा–निर्देश/प्रोटोकॉल निर्गत किया जा रहा है, किन्तु जनपद स्तर पर इसका यथोचित संज्ञान/अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः निर्गत दिशा–निर्देशों/ प्रोटोकॉल्स के आधार पर एक पुस्तिका (Ready reckoner) तैयार कर जनपदों को उपलब्ध करायी जाए तथा निदेशालय स्तर पर एक तकनीकी टीम गठित कर ऑनलाइन

vikas/go.

-2-

प्लेटफार्म के माध्यम से ट्रेसिंग, टेस्टिंग एवं ट्रीटमेन्ट से सम्बन्धित दिशा–निर्देश/प्रोटोकॉल जनपदों को नियमितरूप से सूचित किया जाए।

6. जनपदों में कोविड–19 से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु संचालित विभिन्न गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु तैनात संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा भरी जाने वाली चेक–लिस्ट को नियमित रूप से अद्यतन कराया जाए। इसके साथ ही, इन चेक–लिस्ट के संकलन, विश्लेषण तथा चेक–लिस्ट में उल्लिखित बिन्दुओं के सापेक्ष कार्यवाही कराने हेतु महानिदेशालय में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
7. आई0वी0आर0आई0 बरेली में सैम्पलिंग तथा अन्य प्रकरणों के समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित करने हेतु बरेली जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
8. कुछ जनपदों में सैम्पल कलेक्शन हेतु सामान्य निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण भिन्न–भिन्न स्थानों पर सुविधानुसार सैम्पल कलेक्शन किया जा रहा है। फलस्वरूप, सैम्पलिंग संसाधनों का अनावश्यक व्यय एवं संक्रमण का जोखिम हो सकता है। अतः प्रदेश हेतु एक सैम्पलिंग प्रोटोकॉल विकसित कराया जाए तथा सभी जनपदों से इस प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
27.6.20
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या–1357(1)/पांच–5–2020 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, संचारी, उ0प्र0।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

26.6.2020
26.06.2020

vikas/go.